

आपका शरीर आपकी मर्जी

यौन उत्पीड़न एक अपराध है।

यह कभी भी उचित नहीं होता है कि आपसे बलपूर्वक या आपको धमकी देकर ऐसी हरकतें करवाई जाएँ, जिसमें आप असहज महसूस करें।

अगर आपके साथ या आपकी जानकारी के किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आपको निम्नलिखित जगहों से सहायता मिल सकती है:

एनएसडब्ल्यू पुलिस: 000 (तीन बार शून्य) पर कॉल करें

एनएसडब्ल्यू बलात्कार संकट: 1800 424 017 पर कॉल करें (मुफ्त कॉल, 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)

मुफ्त दुभाषिण: 131 450 पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS) को कॉल करें। आपकी ओर से अनुरोध की गई मुफ्त सहायता सेवा के लिए एक दुभाषिया आपसे संपर्क करेगा।



1

अपने अधिकारों के बारे में जानें

2

किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

3

सहायता प्राप्त करें

1

अपने अधिकारों के बारे में जानें

किस व्यक्ति के साथ अंतरंग होना है, इसका चयन करना आपका अधिकार है. सेक्स और अंतरंगता में यौन स्पर्श, संभोग, यौन चित्र और सेक्सटिंग (यौन संदेश भेजना) शामिल हो सकते हैं. अगर आपने इनमें से किसी भी गतिविधि के लिए स्वतंत्रता और स्वेच्छा से अपनी सहमति नहीं दी है और आपको इन गतिविधियों में बलपूर्वक शामिल किया जाता है, तो यह एक अपराध है.

ऑस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना आपको छू नहीं सकता, आपको धमका नहीं सकता, आपके साथ अवांछित यौन चित्रों का आदान-प्रदान नहीं कर सकता या आपके बारे में यौन टिप्पणियां नहीं कर सकता. यौन अपराध एक गंभीर अपराध है और अपराधी को 14 साल तक की जेल हो सकती है. किसी अपराध की रिपोर्ट करना या अपराध का शिकार होना आपके वीजा या रोजगार की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा.

यौन उत्पीड़न क्या होता है?

यौन उत्पीड़न में कई प्रकार के यौन अपराध आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- बलात्कार, जब आपको बलपूर्वक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है (योनि, गुदा या मौखिक)
- अनचाहा स्पर्श, कपड़ों के अंदर या ऊपर किसी भी तरह का स्पर्श
- कंडोम हटाना, आपकी सहमति के बिना यौन क्रिया से पहले या बीच में
- यौन संबंधी ज़बरदस्ती, तब होती है जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक या चालाकी से आपको यौन गतिविधियाँ करने के लिए मजबूर करता है जबकि आपने स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से सहमति व्यक्त नहीं की है।
- पीछा करना, जब कोई व्यक्ति वास्तविक या वर्चुअल रूप से आपका पीछा करता है या आपके ऊपर नज़र रखता है
- आपकी अनुमति के बिना आपको देखना, जब आप अंतरंग हों या नग्न हों
- अश्लील रूप से शरीर के अंग दिखाना, जब कोई व्यक्ति आपको अपने शरीर के निजी अंगों को दिखाता है
- पोर्नोग्राफी (अश्लील चित्र/वीडियो या अश्लील पुस्तक) देखने या उसमें भाग लेने के लिए मजबूर करना, इसमें आपकी सहमति के बिना आपकी फोटो खींचना, वीडियो बनाना या और किसी भी तरह से रिकॉर्डिंग करना, आपको बलपूर्वक किसी अश्लील वीडियो में भाग लेने के लिए मजबूर करना या आपको कोई अश्लील मूवी देखने के लिए मजबूर करना शामिल है.
- सेक्सटिंग, आपकी सहमति के बिना आपकी नग्न तस्वीरों, वीडियो या अन्य रिकॉर्डिंग को अन्य लोगों के साथ शेयर करना या उन्हें भेजना.



यौन सहमति क्या होती है?

अपनी इच्छा से सहमति देना



सहमति तब होती है, जब आप बिना किसी दबाव, मजबूरी या किसी मादक-पदार्थ या शराब के नशे के प्रभाव के बिना स्वतंत्रता से और स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति देते/देती हैं।

सक्रियता



यौन क्रिया में आपको केवल ऐसे कृत्य करने के लिए सहमति देनी चाहिए जो आप करना चाहते/चाहती हैं, न कि वे कृत्य जो आपका पार्टनर आपसे करने की उम्मीद करता/करती है। आप कुछ कहकर या कुछ करके इस बात की सहमति दे सकते/सकती हैं कि आप यौन गतिविधि में स्वेच्छा से शामिल होना चाहते/चाहती हैं।

विशिष्ट



किसी बात के लिए सहमति देने (जैसे, बैडरूम में जाने) का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ अलग बातों के लिए भी सहमति दे दी है (जैसे यौन क्रिया करना)। अगर कोई कंडोम का इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो यह सहमति नहीं है।

निर्णय बदलना



यौन क्रिया के दौरान आप किसी भी समय अपना इरादा बदल सकते/सकती हैं, चाहे यौन क्रिया करने से ठीक पहले और चाहे उस समय जब आप दोनों बिस्तर में नग्न अवस्था में हों।

समय सीमा



एक बार सहमति देने का मतलब यह नहीं है कि आपने उसी बात के लिए दूसरी बार के लिए भी सहमति दे दी है।

मौन का मतलब सहमति नहीं होता है



कई लोग जब बहुत डरे होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, अगर आप कुछ बोल नहीं पाए/पाई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सहमति दे दी है।

अगर आपका यौन शोषण या उत्पीड़न हुआ है, तो आपके लिए सहायता और समर्थन उपलब्ध है।

2

किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या परामर्श सेवा के साथ बात करके आपको आगे की जाने वाली कार्यवाही तय करने में सहायता मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर आप यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ आप गोपनीय रूप से मुफ्त में सहायता और समर्थन पा सकते/सकती हैं।

एनएसडब्ल्यू बलात्कार संकट

एनएसडब्ल्यू में ऐसी महिलाओं और पुरुषों व उनके शुभचिंतकों के लिए टेलीफोन और ऑनलाइन संकट परामर्श सेवा प्रदान करता है, जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है या जिन्हें यौन उत्पीड़न का खतरा है।

1800 424 017

(मुफ्त कॉल, 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)

nswrapecrisis.com.au


लेस्बियन समलैंगिक ट्रांसजेंडर बाइसेक्सुअल इंटरसेक्स और क्रियर (LGBTIQ) विशिष्ट:

QLife

सभी उम्र के लोगों को टेलीफोन और वेब आधारित सहायता प्रदान करता है।

1800 184 527

दोपहर के 3 बजे से लेकर मध्यराति तक, सप्ताह के सातों दिन



3

सहायता प्राप्त करें

आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएँ उपलब्ध हैं. अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विज़िटर सहित कोई भी व्यक्ति/महिला इन सेवाओं से सहायता और मदद प्राप्त कर सकता/सकती है.

चिकित्सा सहायता

अगर आपका यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आप किसी भी सार्वजनिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग से मुफ्त चिकित्सीय देखभाल प्राप्त कर सकते/सकती हैं. एनएसडब्ल्यू स्वास्थ्य की विशेषज्ञ यौन उत्पीड़न सेवाएँ दिन में 24 घंटे मुफ्त में उपलब्ध हैं (आपको किसी मेडिकेयर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी).

ये सेवाएं यौन उत्पीड़न से पीड़ित किसी भी पुरुष/महिला के लिए मुफ्त जानकारी, परामर्श, चिकित्सा उपचार और जाँच प्रदान करती हैं. ये यौन संक्रमित संक्रमणों की जाँच और गर्भाधारण की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान कर सकती हैं.

चिकित्सीय प्रमाण यह साबित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या हुआ. यौन उत्पीड़न की जाँच को पहले 24 घंटों में किया जाना सबसे अच्छा होता है. अगर यौन उत्पीड़न के मामले को अदालत में ले जाया जाता है, तो अदालत में पेश करने के लिए यौन उत्पीड़न की घटना के सात दिनों बाद तक की जाने वाली जाँच महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है.

आपकी निकटतम सेवा

सिडनी यौन उत्पीड़न सेवा, जो कैपरडाउन में रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड अस्पताल में स्थित है.

9515 9040 (जब खुला हो)

9515 6111 (बंद होने के बाद और सप्ताहांतों में)

कानूनी सहायता

मुफ्त कानूनी सेवाएँ आपको आपके विकल्पों के बारे में गोपनीय सलाह दे सकती हैं. ये सलाह आपके रहने, शिक्षा और कार्यस्थल की व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस को रिपोर्ट करने से संबंधित हो सकती हैं.

नीचे दी गई विशेषज्ञ कानूनी सेवाएँ मुफ्त हैं.

महिलाओं के लिए कानूनी सेवा एनएसडब्ल्यू
1800 801 501 | wlsnsw.org.au

रेडफर्न कानूनी केंद्र
एनएसडब्ल्यू अंतरराष्ट्रीय छात्र कानूनी सेवा
9698 7277 | rlc.org.au

इनर सिटी कानूनी केंद्र
विशेषज्ञ लेखिन, समलैंगिक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्रियर सेवा:
1800 244 481 | iclc.org.au

यौन उत्पीड़न पीड़ित सेवाओं से सहायता पाने के लिए

अगर आप यौन शोषण के/की शिकार हैं, तो आप परामर्श और वित्तीय सहायता सहित एनएसडब्ल्यू की कई मुफ्त यौन शोषण पीड़ित सेवाओं से सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं.

यौन उत्पीड़न पीड़ित एक्ससे लाइन
1800 633 063 मुफ्त कॉल
(24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)

पुलिस को रिपोर्ट करना

यौन उत्पीड़न एक अपराध है. अपराध का शिकार होना आपके वीजा या रोजगार की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा.

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस आपकी रिपोर्ट की जाँच करेगी और आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगी. आप नीचे दिए गए तरीकों से पुलिस को रिपोर्ट कर सकते/सकती हैं.

- (000) तीन बार शून्य पर कॉल करके
- व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन में जाकर
- 1800 333 000 पर अपराध रोकथामकर्ता के माध्यम से गुमनाम रूप से घटना की रिपोर्ट करके

सहायता सेवाएँ भी पुलिस को रिपोर्ट करने में आपकी मदद कर सकती हैं.

यह पहल इनके द्वारा समर्थित है